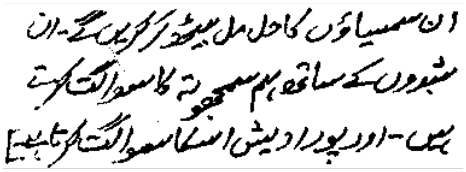

SHRI . O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Madam, I would like to seek clarifications from the hon. External Affairs Minister on another aspect. When I recently had an occasion to visit Tripura in connection with a Parliamentary work, a delegation of the Chakmas told me....

1.00 P.M.

that they are prepared to go back. They only want that peaceful living conditions should be ensured. I would like to know from the hon. Minister whether there was any discussion on that aspect. This would enable the return of the Chakma refugees back to their land.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): Madam Vice-Chairperson, may I submit this to you and to the hon. Members? Several questions have been raised by the hon. Members and they need an elaborate reply. The Chair has also decided that we would have a discussion. I suggest that we can have it tomorrow. I will be able to do that for a different reason also. I hope you will not mind my saying so. At the Rashtrapati Bhavan, there is a lunch for the visiting Prime Minister; and I am supposed to be there. If you do not mind, I may be permitted to go there. Otherwise, I am entirely in your hands.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I think we can have the reply tomorrow..*(interruptions)*...

SHRI I.K. GUJRAL: I think you can fix it tomorrow sometime. We can discuss it at length. I think it is good to discuss it at length because I am very keen to respond to all the queries, doubts, or whatever they may be, of the House and I would like to clarify their points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We will have the discussion tomorrow between 2.00 and 2.30 P.M.

SHRI I.K. GUJRAL: Thank you.

...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We can have the reply to the clarifications tomorrow.

SHRI I.K. GUJRAL: In the meantime, hon. Members would have the opportunity of seeing the Treaty as a whole. I will be placing it on the Table of the House. By tomorrow you can read it and if you want to add something to your queries, I will be very happy to reply to them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The House now stands adjourned for lunch till 2 o'clock.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN [(SHRI AJIT P.K. JOGI) in the Chair.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Now, Shri Yerran Naidu to move a motion for consideration of the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Bill, 1996.

THE PROVISIONS OF THE PANCHAYATS (EXTENSION TO THE SCHEDULED AREAS) BILL, 1996

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI YERRAN NAIDU): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the

extension of the provisions of Part IX of the Constitution relating to the Panchayats to the Scheduled Areas, be taken into consideration."

Sir, all Members are aware that the Panchayat! Raj set up brought into position in the wake of the Constitution 73rd Amendment Act, 1992 which came into force on 23rd April, 1993 and inserted as Part IX of the Consitution provides an ideal institutional framework for democratic decentralisation and peoples' participation in the developmental process. Scheduled Areas referred to in Clause (1) and tribal areas referred to in Clause (2) of Article 244 were excluded from the operation of Part IX of the Constitution. The States which have scheduled Areas are Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan.

After the enactment of the Constitution 73rd Amendment Act, these State Governments having Scheduled Areas, enacted the State Panchayat laws which did not exclude the Scheduled Areas. This action on their part tcntamount to extension of legislation on Panchayati Raj to the Scheduled Areas. The extension of Part IX of the Constitution by the States of Andhra Pradesh and Bihar to Scheduled Areas was challenged in their respective High Courts. The Courts have held the extension of State Panchayats Acts to the Scheduled Areas as *ultra vires* of the Constitution and viewed that Part IX can be extended to these Scheduled Areas only through an Act on the Parliament, as provided in Article 243M(4) (b) of the Constitution. That is why I am introducing the present Amendment which would apply to the Scheduled Areas in eight States.

There have also been persistent demands from prominent leaders of Scheduled Areas and Members of Parliament as also from the State Governments for extending the provisions of Panchayati Raj to Scheduled Areas. In this background a Committee of Members of Parliament and experts was constituted with the approval of the Prime Minister to make recommendations on the law concerning such extension to the Scheduled Areas. The Committee, under the chairmanship of Shri Dileep Singh Bhuria, Member of Parliament, which consisted of 15 Members of Parliament, including the Chairman, drawn from both the Houses of Parliament, belonging to Scheduled Tribes and seven other expert members, including representatives of concerned Ministries and Departments, submitted its Report after discussing everything in detail. Basing on that report, I have come up with an Amendment before the House. The Committee, under the Chairmanship of Mr. Bhuria have had extensive cosultations with the concerned Ministries of the Government of India and the State Governments. Keeping in view the recommendations of the Bhuria Committee and the views expressed during these consultations, the present Bill has been brought in. Bulk of the population lives in the Scheduled Areas and the tribal areas.The Bill seeks to extend the Panchayat Raj to the Scheduled Areas, with certain exceptions and modifications. These exceptions and modifications air at ensuring that the essential features of the tribal society are kept -in tact. The Bill provides that the State legislation, which would follow, should be in consonance with the customary laws, social and religious practices, customs and traditions of the tribal people.

Every village shall have a Gram Sabha consisting of all persons who live in a village and whose names are included in the electoral rolls. Keeping in view the demographic layout in tribal areas, the village could be a hamlet consisting of 5 to 30 families or a cluster of hamlets, a habitation or group of habitations. The empowerment of the Gram Sabhas is at the core of this Bill. The Gram Sabhas shall be competent to safeguard and

preserve the traditions and customs of the people. It is proposed to be vested with powers to approve the programmes and projects for social and economic development, to identify the beneficiaries of poverty alleviation programmes and to certify the utilisation of funds.

Tribal communities have been deprived, over the years, of their rightful control over their natural and economic resources such as land, water, minor forest produce, minor minerals, etc., as a result of the action of private parties and also as a result of certain developmental projects. The Bill proposes to remedy this by providing that the Gram Sabhas and Panchayats at the appropriate level shall be endowed specifically with the powers to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to restore and unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe; that prior recommendation of the Gram Sabhas and the Panchayats shall be mandatory for acquisition of land for any developmental projects and that for resettlement of project-affected persons and for exploitation of minor minerals. The ownership of minor forest produce is to be vested in the Panchayats. The Bill also addresses the problem of tribal indebtedness and empowers Panchayats to exercise control over money-lending in the Scheduled Areas. The Bill also seeks to vest Panchayats in the Scheduled Areas with powers to manage local markets and to control and restrict the sale and consumption of any intoxicant so as to prevent unscrupulous elements from operating in these areas.'

In order to make decentralisation meaningful, the Panchayats and the Gram Sabhas have been empowered to exercise control over the local plan resources including Tribal Sub-Plans and also to exercise control over institutions and functionaries in all social sectors.

To make self-governance a reality, it is proposed that State legislations should vest Panchayats at each level with specific powers and authority and provide safeguards to prevent Panchayats at the higher level from assuming powers of Panchayats at the lower level or of the Gram Sabhas. The Bill also provides that the offices of the Chairpersons at all levels in the Panchayats shall be reserved for the Scheduled Tribes and the reservation of seats at every Panchayat for the Scheduled Tribes shall not be less than fifty per cent of the total number of seats. The Bill further makes a provision to enable State Governments to nominate to Panchayats at intermediate and district levels such tribes as have not succeeded in getting elected. Such nominations shall not, however, exceed ten per cent of the total number of elected representatives.

In short, the Bill, while seeking to extend Panchayati Raj to Scheduled Areas, aims at strengthening grass-roots institutions and safeguarding the fabric of tribal society.

In so many States like Maharashtra, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, etc., there are no local self-Governments in the Scheduled Areas. In other areas the elections to the local self-Government are already over and the Panchayat system is working peacefully. So, on the basis of the court verdict, it is required to amend this law. That is way I am introducing this Bill. I hope all will cooperate.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI): The motion is moved. Prof. Ram Kapse. Your party has got 22 minutes. You will please keep that in view.

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra) : Sir, I will be very brief. I support the Bill which has been brought by the hon. Minister. This Bill should have been passed long back. When we started the Panchayati Raj system in 1993, some States faced a lot of problems. We would be facing a lot of problems in Maharastra if this Bill is not passed today. In the month February, 1997 we are going to hold elections in Maharashtra. Only three months are left. If this Bill is not passed before that, Maharashtra would be facing

a peculiar situation. There is the Panchayati Raj system in Maharashtra for the last 20 years. The Minister has mentioned that there is no Panchayati Raj system in Maharashtra. It is not so. Even today it is working. I know it because I belong to Maharashtra. I have been brought up in a Scheduled Area. I know it for certain. There is a Panchayati Raj system. There is a Taluka Panchayat Samiti and there is a Zilla Parishad also and persons are elected from the Scheduled Area. If this Bill is not passed before February, 1997, some areas would go in for elections and the Scheduled areas would not go in for elections. This would have created a problem. Still there are certain problems which I would like to mention here. For example, take the Thane district. Half of the Thane district is urban area with three corporations and the remaining. Thane district is rural area with Adivasi background and the Scheduled Tribe Area. Half of the area would have gone in for elections At the same time, in the urban area there are some townships which are having a Scheduled Tribe background, like Dahanu and Jawhar. They have a population of 5000. They are in a Shcdulcd Area, because of this Act, elections have not been held there for town municipalities. Elections are still pending at Dahanu and Jawhar cities. The Dhullia district and the Nasik district are also facing the same problem. Today the minister has brought this Bill for rural areas, but for urban areas he has not prepared any Bill. Therefore, elections cannot be held in these areas. Of course, it is a different department. But the Government is one. I would request the Minister to take note of it. I would also request him to do something for those areas where elections need to be held. So far as Gujarat is concerned, the same problem arose in Gujarat when the Panchayat Samiti elections took place there. But nobdoy went to court and the election was regularised. But in Bihar and Andhra Pradesh, people went to court and then the High Court gave its judgment. That is why the Minister has brought this Bill. So far as legislation is concerned, we were lagging behind. I congratulate the Minister for bringing this •Bill today. I would request all the Members to get this Bill passed as early as possible to help the Panchayati Raj system. So far as Gram Sabha is concerned, I totally support it. While making laws, we should take into account the coustomary law, social and religious paractices of the Scheduled Tribes. So far as the powers to approve the programmes and projects for social and economic development are concerned, these powers should be given to Gram Sabha this was the view of Mahatma Gandhi and Shri Deen Dayal Upandhyaya. So far as the ownership of minor forest produce is concerned, it is a long-standing demand of Adivasis. They have been facing so many problems. They are in trouble for centuries.

I also support the clause : "The ownership of minor forest product." I also support the clause regarding mining lease for minor minerals. As far as lending is concerned, my suggestion is that, individual lending should be stopped immediately. That is the basic problem faced by backward areas. Individual lending should be stopped. The Government should take the responsibility of lending. Banks should go ahead with this. But individual lending should be stopped. As far as prohibiting sale and consuption of liquor is concerned, you will face some problems. In Orissa a peculiar kind of liquor is consumed by the backward classes. They are allowed to prepare it themselves. We will not be able to do much in this area. But at the same time, liquor should not be sold in shops. That should be stopped. You have mentioned here that Panchayats can enforce prohibition or regulate or restrict the sale and consumption of intoxicants. The real problem faced by backward areas is that of sale and consuption of liquor. This has led to a lot of problems throught out Maharashtra, throughout Karnataka and

throughout Gujarat. So, these are the two things that I wanted to mention. I will be happy if these are taken care of at this level itself. In all other matters, I support the Bill. You should bring forward a Bill as early as possible for providing 50 per cent reservation for Adivasis. You must bring forward a Bill covering township also. I think this will be accepted in line with this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P. K. JOGI) : Shri Ramji Lai, not there. Shri Maurice Kujur.

SHRI MAURICE KUJUR (Orissa) : Hon. Vice-Chairman, Sir, this is the first time that I rise to speak in this House and if I go little out of the way, I may be excused.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI) It is his maiden speech and we know the tradition and convention as regards maiden speeches.

SHRI MAURICE KUJUR : Sir, I rise to support this Bill becasue I belive that this Bill will help tribals to come out of their present plights, Sir, I will try to higlight some problems faced by tribals. Sir, nature has fortunatly endowed tribal areas with rich forest and mineral deposits, but instead of enjoying the fruits of these natural resources, the tribal people are adversely affected because large scale industrial ventures, hydro-eletric projects and irrigation dams have come up in tribal areas. The tribal people have to sacrifice their lands for industries. A few years back', the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduld Tribes had conducted a survey. It was-found that 17 lakh people were displaced on account of these projects. Out of 17 lakhs eight lakh people were tribals and out of eight lakh tribal people only two lakhs were given land for land. The point is that land belonging to the tribal people is taken away because of these big projects. Where will they go now?

Because of forest laws the tribals are deprived of the forest goods directly or indirectly which they were enjoying hitherto. Sir, almost in all the States laws have been passed prohibiting alienation of tribal lands to non-tribals. In spite of these laws, on some plea or the other, still the lands of the tribals are grabbed. All lands of tribals should be protected and help should be provided for agricultural development. Sir, about two lakh tribal families in about 5,000 forest village in the country do not possess the rigtht to the land they cultivate for many years. Without these forest villages being declared revenue villages, the tribals cannot get benfit from various developmental programmes ment for the tribals. Sir, in spite of various beneficial programmes the tribals are still lagging behind. We must find out the reasons for this backwardness. I think one of the factors responsible for the backwardness of the tribals is lack of education. It is really shocking that literacy rate among the tribals is very low in comparison to the literacy rate of other communites. Sir, what is needed is educated tribals and not merely literate tribals. Efforts should be made to induct more tribal teachers to work in the tribal areas where others are reluctant to serve. Special allowances and incentives should be given to make the jobs more attractive in the tribal areas. Sir, the Central Government has been allocating funds for the upliftment of the tribals under different schemes. The State Governments also are spending money for the welfare of the tribals but it is unfortunate that tribals have not got all the benefits from the development programmes. This is because the implementation of these development programmes is more in letter than in spirit in several cases. Late Shri Rajive Gandhi very rightly remarked, I quote, "We are spending a huge amount of money for tribal development but hardly 25 per cent is reaching them" Sir, somewhere. at some point, it appears that there is understanding between the exploiters and the programme implementing agencies.

This exploitation should be stopped at all levels and in all states, Sir, I feel while I go through this bill there are many provisions in this Bill and definitely two problems I have mentioned now. Through this Bill tribals will be able to overcome and fight and come out from this plight of self-government and tribals will be able to take care of themselves. I feel this Bill provides some protection if not fully in the economic, political, social and educational growth of the tribals. And that is why, Sir, I wholeheartedly support this Bill and I request all my friends that this Bill should be passed. With these words, I support the Bill. I thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shrimati Kamla Sinha not present. Shri Sanatan Bisi.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity. I appreciate the Bill and its various provisions. But I am sorry to say that in some of the States, it is found that the funds earmarked in the Tribal Sub-Plan are being siphoned off and are not being spent properly. The annual reports that are published from time to time by the various State Governments reflect that the beneficiaries under the Tribal Sub-plans have not been identified properly. There is siphoning off of the funds. It should be an area which we should consider very seriously.

The other thing is regarding panchayats. The United Front's Common Minimum Programme is for the good of every one, for social justice. In this connection, I would request the hon. Minister to have a look at article 243 which deals with reservation in the panchayats. Clause (b) of this article speaks of reservation for the scheduled castes and the scheduled tribes. At a time when we are talking more about the Other Backward Classes, clause 6 says: Nothing in this part shall prevent the legislature of the State from making any provision for reservation of seats in any panchayat or offices of Chairpersons in the panchayats, at all levels, in favour of backward class people. We are fighting for social justice. I would, therefore, request the hon. Minister to bring forth such a legislation or at least ensure that the States are implementing the provisions for equal represention in all walks of life properly.

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार): महोदय, इस विधेयक का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, इसलिए कि जिस समय 73वां संशोधन विधेयक पारित हुआ और जो प्रावधान उसमें किए गए थे, उन प्रावधानों के अंतर्गत यह कहा गया था कि नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर और गोरखालैंड में तत्काल यह कानून प्रभावी नहीं होगा और उसी तरह से जो शैडयूल्ड एरिया है, उस स्थान में भी यह कानून उस रूप में लागू नहीं होगा और इनके लिए संसद अलग से एक कानून बनाएगी। आदिवासियों की जो मौलिक मान्यताएं हैं, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष हैं और जो उनकी पुरातन परिपाटी है, उसे ध्यान में रखते हुए संसद एक अलग से कानून बनाएगी। यह जो एक अपवाद दिया गया था उस संविधान संशोधन कानून में, उसके कार्यान्वयन के लिए 1993 में, 1994 में सरकार के स्तर पर काफी चिंतन भी हुआ, विचार भी हुआ और एक संसद सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई, जो भूरिया कमेटी के नाम से विख्यात है। उस कमेटी ने विस्तार से इस बात की समीक्षा भी की, जांच भी की कि किस तरह के कानून शैडयूल्ड एरिया के लिए लगाए जाएं, बनाए जाएं पिछली सरकार के समय में ही इस पर काफी विचार-विमर्श हुआ था और इस संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा था। हमें प्रसन्नता है कि आज वर्तमान मंत्री ने सरकार की तरफ से इस विधेयक को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह निर्विवाद है कि आदिवासियों की एक अपनी पहचान होती है, उनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, उनके अपने रीति-रिवाज है, जो सामान्य रीति-रिवाजों से भिन्न हुआ करते हैं। इसलिए एक राज्य में, जहां यह शेडयूल्ड एरिया अधिसूचित है, उस भाग और अन्य भागों में स्थानीय प्रशासन में अंतर होना चाहिए। चूंकि आदिवासी राज्यों में पहले से कोई न कोई प्रणाली रही है। कुछ राज्यों में शैड्यूल्ड ऐरियाज़ थोड़े हैं जैसे बिहार या बंगाल या उड़ीसा या गुजरात या मध्य प्रदेश। पहले बिहार में मानकी मुण्डा प्रणाली थी जो स्थानीय शासन का काम करती थी। उसी तरह की प्रणाली भिन्न-भिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर रही है। इसकी वजह से जो कानून

सारे देश में लागू हुए, वे कानून स्वाभाविक रूप से इन ऐरियाज़ में लागू करना तत्काल संभव नहीं था।

उपसाभाध्यक्ष महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 5 और 6 में अलग से प्रावधान किए गए है शैड्यूल्ड ऐरियाज़ के बारे में और शैड्यूल्ड ट्राईब्ज़ के प्रशासन के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 339 में खास तौर से प्रावधान है आदिवासियों को जानने के लिए, आयोग बनाने के लिए और उसी अनुच्छेद के खंड 2 में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थित आदिवासियों के कल्याण की योजनाओं को निर्देशित करने के लिए राज्यों को आदेश दे। संविधान में तो यहां तक कहा गया है अनुच्छेद 365 के अंतर्गत कि इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाएं सरकार की तरफ से कि अगर राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन न करे तो इसे उस राज्य सरकार की विफलता मानी जाए और ऐसे निर्देशों का पालन न करने के कारण उस सरकार के विरूद्ध संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। महोदय, संविधान बनाने वालों ने आदिवासियों की सुरक्षा और संरक्षण को कितना महत्व दिया है, यह इसी से स्पष्ट हो जाता है।

इसीलिए हमारा जो शैड्यूल 6 है, जहां पर कि आदिवासी ऐरियाज़ के बारे में अलग से प्रशासन की व्यवस्था है, चाहे वह असम में हो या मेघालय में हो या मिजोरम में हो या त्रिपुरा में हो, उसी के साथ शैड्यूल 5 में शैहड्यूल्ड ऐरिया, शैड्यूल्ड ट्राईब के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। इस संबंध में भूरिया कमेटी ने जो सिफारिशें की है, उनको मैंने देखा है। उन्होंने जो अनुशंसा की है कि इस इलाके के प्रशासन की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए, हम उस राय के साथ सहमत नहीं है लेकिन हम इस बात को स्वीकर करते हैं कि चूंकि आदिवासी आबादी की कुछ खास विशेषता है इसलिए उस इलाके के लिए उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसलिए संविधान संशोधन कानून के अधीन पंचायतों को नया स्वरूप दिया जा सकता है। इस संविधान संशोधन विधेयक में जो प्रावधान किया गया है, वह सही है कि उनकी जो सामाजिक, धार्मिक, पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, उनका संरक्षण किया जाए। यह भी सही है कि प्रत्येक गांव में ग्राम-सभा की स्थापना की जाए और उनकी जो पारंपरिक रुढ़ियां हैं, उनकी रक्षा की जाए और उन्हें मिटने न दिया जाए। सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाने का अधिकार ग्राम-सभा को हो। यह बात सही है कि आदिवासियों की वन-संपत्ति है, उस पर उनका स्वामित्व होना चाहिए और इनका नियंत्रण ग्राम-सभा के हाथ में होना चाहिए। इन आदिवासी इलाकों में खनिज संपदाएं भी है। इन खनिज पदार्थों के संरक्षण के बारे में, उनकी लीज़ के बारे में, ग्राम-सभा को विश्वास में लेना चाहिए।

महोदय, आदिवासी इलाके में सबसे बड़ी परेशानी तब खड़ी होती है जब लैंड ऐक्विज़िशन ऐक्ट के तहत भूमि अर्जित की जाती है सार्वजनिक कार्यों के लिए, जिसके कारण आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। उन लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी कोई पूछ नहीं होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब लैंड ऐक्विज़िशन ऐक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन अर्जित की जाए या जिसके कारण आदिवासी विस्थापित हो रहे हों, उनके पुनर्वास की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसे ग्राम-सभा की पूरी स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बगैर उनकी कोई ज़मीन अर्जित न की जाए। उसी तरह से यह भी एक बड़ी समस्या इस इलाके में है कि आदिवासियों की ज़मीन जबरन छीन ली जाती है जिसे हम लैंड ऐक्विज़िशन कहते हैं। इसके बिहार में अनेक उदाहरण मिलेंगे। बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग को स्थापित करने के नाम पर आदिवासियों को ज़मीन से वंचित कर दिया गया था। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी की गई कि आदिवासियों की ज़मीन वापस की जाए और वह वापस हो भी रही है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। इसलिए स्थानीय पंचायत को, ग्राम-सभा को उसमें प्रत्यक्ष रूप से साझेदार बनाना चाहिए और जिसे ज़मीन से बेदखल किया जाता है,

वह तत्काल उसको वापस की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक तो अंतरण होने ही नहीं चाहिए और जिनकी ज़मीन ट्रांसफर हुई है, उस ज़मीन का उन्हें फिर प्रत्यावर्तन कर दिया जाए, उनको वापस कर दी जाए।

फिर गांवों में जो हाट होते हैं, बाज़ार होते हैं, उस गांव के लोगों का उस पर पूरा स्वामित्व होना चाहिए और उनका पूरा नियंत्रण उस पर होना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि जिस तरह से मादक द्रव्यों के सेवन से वहां पर समस्याएं उठती हैं, आदिवासियों की यह बड़ी मांग रही है कि वहां पूर्ण रूप से मद्य-निषेध लागू किया जाए। मद्य-निषेध कुछ राज्यों में हुआ भी है, कहीं सफल हुआ है और कहीं सफल नहीं हुआ है लेकिन ग्राम-सभा को और ग्राम-पंचायत को ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वे मद्य-निषेध कर सकें और जो मादक द्रव्य हैं, उनकी बिक्री को वे विनियमित कर सकें। उसके उपभोग को सीमित कर सके, नियंत्रित कर सकें। साथ-साथ राज्य विधान सभाओं की ओर से जो कानून बनें, उसमें पंचायतों को ऐसी शक्तियां देनी चाहिए कि उन शक्तियों का कोई अतिक्रमण शासन की तरफ से न हो पाए। पंचायत के सभी स्तरों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और 73वें संशोधन कानून का सीधा प्रभाव हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, पहली बार उनको सामाजिक और राजनितिक मान्यता प्राप्त हुई है, उनकी प्रत्यक्ष साझेदारी स्थापित हो रही है स्थानीय प्रशासन में। जिन राज्यों में पंचायती राज चुनाव हो चुके है वहां की जो पंचायतें बनी है, वहां पर शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं। उसका स्वरूप ही बदल गया है। इसलिए शैड्यूल्ड एरियाज़ के लिए जो प्रावधान हो रहा है, यह सही है कि कम से कम पचास प्रतिशत आरक्षण पंचायतों में उनका तो होना ही चाहिए और जो चेयरपर्सन्स है, अध्यक्ष है, चाहे वे पंचायत के हों, प्रखंड के हों या ज़िला स्तर के हों, उनमें आदिवासियों के लिए निश्चित रूप से पूर्ण आरक्षण किया जाना चाहिए। इसलिए इस कानून के तहत जो प्रावधान किया जा रहा है, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। लेकिन एक बात जो विचारणीय भी है और ध्यान देने योग्य भी है, वह यह है कि आदिवासी इलाके की पहचान इस समय औद्योगीकरण की वजह से मिट गई है और जिस तरह से उस इलाके में नदी घाटी योजनाएं चलाई जा रही है और बड़ी संख्या में वे विस्थापित हो रहे हैं या फिर जो वहां पर खनिज सम्पदाएं हैं, उनको निकालने के बारे में जो व्यवस्था हो रही है, इस सब से आदिवासियों की स्थिति लागातार कमज़ोर होती जा रही है। इसे हम कैसे रोक पाएंगे? जो पंचायती राज व्यवस्था हम वहां स्थापित कर रहे हैं इस कानून के बाद, उसके बाद भी आदिवासियों की इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए आज एक बड़ी समस्या यह है कि उस इलाके में जंगल हैं, जंगलों के साथ आदिवासियों की सीधी पहचान जुड़ी हुई है, जंगल के लघु पदार्थ हैं, वह उनके जीवन के भरण-पोषण का एक सहारा है। उसी तरह से वहां पर खनिज सम्पदाएं हैं। पहले जो उनकी चीज़ें हुआ करती थीं, उसका स्वामित्व अब राज्यों में निहित हो गया है। इस समय उनकी कोई साझेदारी हो सकती है या नहीं हो सकती या उस इलाके में जो जल का भंडार है, उसके उपयोग के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उनमें उनकी हिस्सेदारी और साझेदारी हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये पंचायती राज व्यवस्था कैसे इसका निर्वहन कर सकेगी, यह प्रश्न अभी भी पड़ा हुआ है। जो अधिकार पंचायतों को दिए गये हैं, जो विभिन्न राज्य सरकारों ने अधिनियम बनाये हैं, उनमें 29 अख्तियार पंचायतों के बारे में दिए गए हैं, इन पंचायतों को ये काम दिए जा सकते हैं। और आज भी इस संशोधन में इन कार्यों की चर्चा की गई है। मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इन बिन्दुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, वह काफी है उन लोगों के कल्याण के बारे में, लेकिन क्या यह हो रहा है? जो पंचायती राज कानून 24 अप्रैल 1993 से है, हमारे देश में क्या यह लागू हो सका है? अभी भी सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये हैं। बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य हैं इन्होंने केन्द्र सरकार की हिदायतों के बावजूद भी वहां पर चुनाव सम्पन्न नहीं कराये हैं तो क्यों केन्द्र सरकार एक मूकदर्शक है? संविधान के प्रावधान अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं पंचायती राज बनाने के लिए। इसलिए इस कानून के जरिए हम आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को विस्तारित कर रहे हैं। लेकिन जो पंचायतें आज जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में हैं वहां उनकी क्या स्थिति है? जब राज्य सरकारें अभी तक उनको शक्तियां हस्तान्तरित नहीं कर रही हैं तो फिर आदिवासी इलाकों के लिए जो बात आप इस कानून में कह रहे हैं, तो फिर उन राज्यों में जहां पर ये शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर यह नहीं हो सकता है। उन्होंने ठीक ही कहा कि आन्ध्र के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में जिन आदिवासी इलाकों में इस कानून को एक साथ

लागू किया गया था वहां कानूनी अड़चनें पैदा की गईं। सारे प्रदेश में एक ही कानून बना दिया, हालांकि बनाना नहीं चाहिए था। इस संविधान संशोधन अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि इस इलाके के लिए अलग से कानून संसद बनाएगी तब कानून बनेगा। सारे मध्य प्रदेश में यह कानून लागू कर दिया गया और वहां के आदिवासियों ने उसे स्वीकार भी कर लिया था और आन्ध्र प्रदेश में भी एक कानून को सारे प्रदेश में लागू कर दिया गया। चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद जब आन्ध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में यह मामला गया तो फिर उस पर रोक लगाई गई, वहां के चुनाव पर रोक लगा दी गई। हमारे संविधान की जो स्पिरिट है इसको राज्य सरकारें नहीं देख रही हैं। इसका क्या उपाय होगा? केन्द्र सरकार को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, अगर संविधान के मुताबिक यह कानून आप बना रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं लेकिन हमारे द्वारा कानून बना देने के बाद क्या होगा इन शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में? और क्या होगा उन राज्यों में जहां पंचायतों के चुनाव हो चुके है? वहां उनको शक्तियां तक नहीं दी गई हैं।

राजस्थान में चुनाव हो चुका है, जिला परिषदें भी बन चुकी हैं लेकिन वहां भी शक्तियां नहीं दी गयीं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव सम्पन्न हुए, वहां की सरकार ने अधिसूचना जारी करके शक्तियां दी पंचायतों को, जिला परिषदों को। मैं वहां पर गया था लेकिन वहां की जिला परिषदों की शिकायत है कि सरकार से नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी वे उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। उसी तरह से अन्य राज्यों में भी चुनाव नहीं हो रहा है। हम तमिलनाडु के बारे में क्या कर रहे हैं? हम उड़ीसा के बारे में क्या कर रहे हैं? हम बिहार के बारे में क्या कर रहे हैं? इस संविधान के प्रावधान का कोई औचित्य नहीं होगा, कोई शक्ति नहीं होगी, राज्य सरकारें इसकी अवहेलना करती रहेंगी और कुछ नहीं होगा संविधान में कहा गया था कि वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और कुछ राज्यों में वित्त आयोग का गठन हुआ भी, लेकिन आज भी पंचायतों को साधन नहीं दिए जा रहे हैं। दसवें फाइनेंस कमीशन ने पंचायतों के लिए अलग से लगभग चार हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया था पांच साल के लिए। उसके अलावा भी राज्यों को साधन देना है वित्त कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक। लेकिन जिन राज्यों में वित्त कमीशन बन भी गया, अनुशंसा आ भी गयी तो भी वहां पंचायतों को साधन नहीं दिये जा रहे हैं। जिन राज्यों में वित्त कमीशन की बहाली हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं आई, वहां पर क्या होगा? भारत सरकार की तरफ से कहने के बावजूद भी वह कार्य नहीं हुआ है। 9 जनवरी, 96 को पंचायत मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ। उस सम्मेलन में जितने प्रस्ताव पारित हुए, उन पर भी अमल नहीं हो रहा है। देश की पंचायतों के अध्यक्षों का सम्मेलन अक्टूबर, 1995 में हुआ, उसमें राष्ट्रपति भी गये, प्रधान मंत्री भी गये और सारे देश के लोग आये। पंचायत के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। उस सम्मेलन में जो पंचायतों के अध्यक्षों ने अपनी राय जाहिर की, राज्य सरकारों की उदासीनता बताई तो उससे लगा कि जो पावर आफ द पीपल की बात राजीव गांधी ने सोची थी, वह सही सोची थी। कि जब तक हम पंचायतों को शक्तियां नहीं देंगे, तब तक वह शक्तिहीन रहेंगी। आर्टिकल 40 में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही है, उसी के अनुसार यह संविधान संशोधन लाया गया राजीव गांधी के जमाने में। उस समय यह पारित नहीं हो पाया, लेकिन नरसिम्हाराव जी के जमाने में यह सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित हुआ। तब ऐसा लगा कि सभी पालिटीकल पार्टिया ट्रांसफर आफ पावर के पक्ष में हैं और यह रीयल स्वराज होगा। 1947 में जब अंग्रेजों ने हम भारतीयों को शक्तियां हस्तांतरित कीं तो उस वक्त लगा था कि दिल्ली, भोपाल, पटना और कलकत्ता से हम गांवों को शक्तियां देने जा रहे हैं। उस वक्त लगा था कि रीयल ट्रांसफर आफ पावर टू दि पीपल। लेकिन क्या हम ये कर पाये? ये कौन-सा प्रोटेक्टिव हो गया गांवों के लोगों में, पंचायत के लोगों में इस समय कौन सा प्रोटेक्टिव रहता है? जितनी बातें हम राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की करते हैं उतना ही उल्टा आज गोवा में अनुभव किया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप इस कानून की मंजूरी संसद से ले रहे हैं जो स्थिति बाकी पंचायतों की हुई है वही स्थिति इन ट्राइबल एरियाज की पंचायतों की न हो? मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि 9 जनवरी, 1996 को पंचायती मंत्रियों की कमेटी में निर्णय हुआ था उसकी समीक्षा करें क्योंकि पंचायत मंत्रियों को विश्वास में लेकर के जो निर्णय लिये गये थे आज वे निर्णय लागू क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं पंचायतों को वायबल बनाया जा रहा है? क्यों नहीं पंचायतों को अपने नियंत्रण में विकास के काम पर लगाया जा रहा है? एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था एन्टी पावर्टी प्रोग्राम। मंत्री जी आप एन्टी पावर्टी प्रोग्राम के प्रभारी मंत्री है, उसकी समीक्षा तो करिए कि मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि एन्टी पावर्टी प्रोग्राम पंचातयों के हाथ में जाएगा, आज तक गया है क्या? ट्राइबल एरियाज में

हम यह प्लान धन के साथ चला रहे हैं? उन प्लानों का हश्र क्या हो रहा है? क्योंकि स्थानीय लोगों की सहभागिता उस प्लान के साथ नहीं होती है। आज जब आप पंचायतें बनाने जा रहे हैं तो क्या शेड्यूल्ड एरियाज में, स्वाभाविक रूप से ट्राइबल्स प्लान, एन्टी पावर्टी प्रोग्राम सब पंचायतों के हाथ में जायेंगे? इस बारे में स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? मंत्रालय ने जो डीआरडीए का नया कंसेप्ट बनाया है, क्या वह पंचायती राज शासन के अधीन होगा? क्या राज्यों में डीआरडीए पंचायती राज संस्था के हाथ में दिया है? आखिर गांवों में ये साधन कैसे पहुंचेंगे। जो बात राजीव गांधी जी ने कही थी कि हमारे केन्द्र के पैसे का केवल 15 प्रतिशत भी गांवों तक नहीं पहुंचता है, बिचौलियों के हाथ में चला जाता है। इसलिए पंचायती राज संस्था की बात सोची गई और इसे संविधान में एक दर्जा दिया गया। लेकिन क्या हम इस मामले में सुधार कर पाये हैं? जो हमारे जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, महिलाओं के बच्चों के विकास के कार्यक्रम, ग्रामीण जल-आपूर्ति योजनाएं हैं, सुनिश्चित रोजगार योजनाओं की स्कीमें हैं जिनको पूरी की पूरी पंचायतों के हाथ में जाना है, राज्य सरकारें आज यह नहीं कर रही हैं, कलेक्टर नहीं कर रहे हैं, वे अपनी शक्तियां नहीं देना चाहते हैं। जहां डीआरडीए जिला परिषद के अधीन काम करे, वहां के लोग नहीं करना चाहते हैं, आखिर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की परिकल्पना की गई थी उसको व्यावहारिक रूप कैसे मिल सकेगा? इसलिए मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार एक दृढ़ निश्चय करे कि इतने समय तक पंचायती राज को पूर्ण शासन का दर्जा दे दिया जाये, जो शक्तियां उन्हें सौंपी जानी चाहिएं, वह शक्तियां उन्हें सौंप दी जाएं। जो प्रशासनिक ढांचे उनके अन्तर्गत जाने चाहिए, जिन विभागों के वे ढांचे चले जाने चाहिए, जिन विभागों के कार्य पंचायतों को सौंपे जा रहे हैं उन विभागों के प्रशासनतंत्र उन पंचायतों के अधीन या जिला परिषदों के अधीन नहीं होगी तो उन विभागों को देने का कोई मायने नहीं है। ऐसी शिकायतें मध्य प्रदेश की थीं कि आपने शक्तियां तो दे दीं पंचायत, जिला परिषदों को और वहां के प्रशासन की इकाइयों को आपने जिला परिषद के अधीन नहीं किया तो जिला परिषद के अध्यक्ष की कौन सुनेगा, जिला परिषद की बात कौन सुनेगा? इसलिए आधे दिल से यह पंचायती राज संस्था काम नहीं कर सकती है। इसको पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ यह वर्तमान सरकार एक पूर्ण इच्छा शक्ति प्रदर्शित करे और पंचायतों को सक्षम बनाये, व्यावहारिक बनाये, साधन सम्पन्न बनाये और जो संविधान की स्पिरिट थी उस स्पिरिट का समादर करते हुए उन्हें पूर्ण शक्ति सम्पन्न करें। इसलिए आदिवासियों के लिए अलग से यह आज प्रावधान हो रहा है उसका हम समर्थन करते है। लेकिन जो बातें मैंने कही है, मंत्री जी उन पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और उन इलाकों में जल्दी से जल्दी पंचायती राज चुनाव कराए जाएं जहां पर रुके हुए हैं। आंध्र प्रदेश में रुके पड़े है। मध्य प्रदेश में सारे चुनाव हो गए। इसलिए अब नए कानून के मुताबिक मध्य प्रदेश में नया चुनाव होना चाहिए। बिहार में चुनाव नहीं हुआ। अब वहां इस कानून के तहत आवश्यक कार्यवाही करके तत्काल इसे करना चाहिए। बिहार में सारे प्रदेश के लिए एक ही कानून बना दिया है जब कि बिहार में सबसे अधिक आबादी इन शैड्यूल्ड एरियाज की है। इसलिए वहां के कानून में तत्काल संशोधन होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस कानून के पास होने के बाद इस कानून के मुताबिक सभी राज्यों में पंचायती राज स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार को पंचायती राज कानून पर अमल न करने वाले राज्यों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत करनी चाहिए। बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु जहां पर चुनाव नहीं हुए हैं वहां पर तत्काल चुनाव सम्पन्न कराए जाएं और जिन इलाकों में चुनाव हुए हैं और बाकी जो चुनाव होने है, इंटरमिडयरी चुनाव, इनको भी पूरा करा दिया जाए और 9 जनवरी, 1996 की जो पंचायत मंत्रियों की अनुशंसायें हैं उन पर आप दृढ़ होइए और इसको आप तत्काल कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shri Solipeta Ramachandra Reddy. Are you going to speak in Telugu?

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Did you give prior notice?

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Since the Secretariat did not have information, they say they

are calling the interpreter. That will take three-four minutes. Please wait till then. In the meantime, I will call the next speaker. Mr. Nilotpal Basu, please.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to point out that we support the provisions of this Bill. In fact, Sir, this Bill has a lot of significance in the present context when we are finding that there are a lot of fissiparous tendencies. In that context, in order to integrate the people, unify the people, at the grassroot level and mobilise them in the developmental programmes and planning, and, in terms of decentralisation and devolution of power, it is very important to bring the Scheduled Areas also within the ambit of the general Panchayati Raj administration.

3.00 P.M.

Especially in the light of the working of the panchayati raj system in our State which has been having one of the most vibrant panchayati raj in the last eighteen years almost, some provisions were incorporated later on in the Constitution. So, this will become more meaningful when we integrate the Sixth Schedule Areas within the ambit of the panchayati raj administration. I think this is a major step taken by this new Government in giving our own meaningful objective to the entire thrust of the panchayati raj system.

Therefore, we generally support this Bill. We think that this will also go a long away in really evolving three-tier governance in this country and in mobilising and integrating the people, particularly in those areas where there is backwardness and where there are possibilities of alienation, with the main stream of the national life.

Thank you.

**SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this important Bill and I rise to support it. One of the main aims of our Constitution to provide for the extension of the provision of part IX relating to the Panchayats has been neglected since three years. The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 contain basic and essential features of the Panchayati Raj Institutions and the purpose was to impart certainty, continuity and strength to them. The Act was brought in force on the 24th day of April 1993.

Sir, After the implementation of this Act elections were held all over the country but those tribals living in Scheduled Areas could not be benefited by it. Since provision contained in part IX did not include Scheduled Areas. Due to this elections could not be held for Vishakapatnam and Khammam Zilla Parishads, for more than 100 Mandals and for more than 1000 village Panchayats in Andhra Pradesh. The same is the case in many states having Scheduled Areas. As elections were not held since three years the Panchayats there were not functioning. This legislation should have been brought three years back.

But Sir, I am glad that it has been brought now and I congratulate the Hon'ble Minister for that I specially request the Minister not to be satisfied with this but work for its implementation also. Necessary action should immediately be taken and elections should be held in all those neglected areas. The State Governments should be instructed strictly in the implementation of this Act.

Sir, I once more congratulate the Minister for bringing this legislation because the bulk of tribal population lives in Scheduled Areas. Once again requesting the best implementation of this legislation I conclude my speech Sir.

Thank you.

*English Translation of the speech delivered in Telugu.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन जहां विभिन्न तरह के अधिकार प्रदान करने की बात इस बिल के अन्दर पृष्ठ 3 पर है, उसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि जो डिग्रेडेड फारेस्ट लैंड अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर पड़ती है, उस पर अफोरेस्टेशन के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में अधिकार अधिसूचित क्षेत्र की पंचायतों के ज़िम्मे किसी न किसी रूप में होना चाहिए।

यह अधिकार हम प्रदान कर सकते हैं कि जो डिग्रेडेड फारेस्ट लैंड है उस पर पेड़ पौधे भी लगाएं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और उसका लाभ उस क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल्स को भी मिले और यह अधिकार हम इस जमीन को लीज पट्टा पर देकर कर सकते हैं।

आदिवासी वन प्रेमी हैं जो डिग्रेडेशन हुआ है वह उनकी बदौलत नहीं बल्कि वन माफियाओं के चलते हुआ हैं इसलिए डिग्रेडेड फारेस्ट लैंड के मैनेजमेंट में फारेस्टेशन की नीयत से तत्संबंधी अधिकार उन्हें दिये जाने चाहिए। दूसरी बात, उसी अधिसूचित क्षेत्र के अंदर सरकारी जमीन पर और यहां तक कि डिग्रेडेड फारेस्ट लैंड पर आदिवासियों की बस्तियां बसी हुई हैं। ये विस्थापित आदिवासी हैं। जमीन के अभाव में उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली हैं। ये बस्तियां कहीं कहीं 20 वर्षों से बसी हुई हैं। लेकिन ये बस्तियां नियमित नहीं हैं। ये बस्तियां नियमित हों। इन बस्तियों पर उनको अधिकार हो, इन बस्तियों का उन्हें पट्टा मिले इस संबंधी भी प्रावधान इस संबंधी भी अधिकार इसके अंदर दिया जाना चाहिए ताकि बस्ती का अधिकार घर का पट्टा उन्हें रहे जिसके चलते उन्हें बैंकों से ऋण लेने में और दूसरी तरह की सहूलियतें लेने में सुविधा हो। इससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। तीसरी बात जो यहां की गयी है बिल के अंदर वह है अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति। लेकिन इतने मात्र से यह स्पष्ट नहीं है कि खुद पंचायतें हमारे अधिसूचित क्षेत्र के अंदर या आदिवासी अपने तईं किस तरह से इस पर नियंत्रण करेंगे क्योंकि उन्हें प्रायः जरूरत पड़ती है कर्ज की जो आज भी महाजनों द्वारा उन्हें मिलता है और उन्हीं के जरिए उपलब्ध होता है जो उनके शोषण को बढ़ाता है और उनके बीच इसके चलते बंधुआ मजदूरों की संख्या बढ़ती है। मेरा इसमें आग्रह यह है कि इस तरह के निर्देश केन्द्र सरकार की तरफ से बैंकों को जाने चाहिए जो अधिसूचित क्षेत्र में आपरेट करते हैं और जो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को कर्ज देते हैं कि इस प्रति वे आदिवासियों को कर्ज दें ताकि महाजनी कर्ज से उनकी जान बचे। इस बाबत भी कुछ निर्देश, कुछ उपाय हमारे बिल के अंदर होने चाहिएं जो बिल हम पास करने जा रहे हैं।

अंतिम मेरा सुझाव है इविक्शन की समस्या को लेकर। अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के समक्ष उनकी अपनी पैतृक भूमि से और जिस जमीन पर वे बसे हुए हैं उस पर से बेदखली की समस्या काफी गहरी है। हम अधिसूचित क्षेत्रों की जांच करें तो यह पता चलेगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट के अनेक क्रिमिनल मुकदमें आदिवासियों पर चल रहे हैं और कई जगहों पर तो फारेस्ट डिपार्टमेंट के केसेज के अंदर, क्रिमिनल केसेज के अंदर वे जेल के अंदर बंद हैं। इनमें से कुछ मामले इविक्शन को लेकर भी हैं। तो जहां बाजारों के प्रबंधन और नियंत्रण की बात की गयी है, मद्य निषेध के प्रति जो अधिकार दिया गया है वहां साथ ही साथ इविक्शन की घटनाओं को रोकने की बाबत भी अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को अधिकार दिए जाने चाहिए।

एक बात का और निवेदन करूंगा और वह यह है कि जहां कहा गया है कि सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति — तो इस तरह के जो एन०जी०ओ० (नान गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन) अधिसूचित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी बाबत यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि उनमें 75 प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन जब ट्राइबल्स का होगा तभी उन्हें पंजीकृत किया जाएगा और तभी उन्हें उस इलाके में आपरेट करने का अधिकार मिलेगा। मेरे यही सुझाव हैं। इन्हीं सुझावों के साथ मेरा आग्रह है कि मंत्री जी इस बाबत भी विचार करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, पंचायत-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996 का मैं दिल से समर्थन करता रहा हूं। मान्यवर, जब संविधान (तेहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 पारित हुआ तो भाग 9 इसमें जोड़ा गया था और इसके अनुसार देश की अनेक विधान सभाओं ने पंचायती राज अधिनियम बनाया और कुछ राज्यों को छोड़ करके यहां चुनाव भी हुए। लेकिन इन क्षेत्रों में, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, ये इस कानून से वंचित रह गए थे। इन क्षेत्रों में भी पंचायती राज की व्यवस्था लागू करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, मैं इस विधेयक की इसलिए

प्रशंसा कर रहा हूं कि अन्य विधेयकों में तो अधिकार देने की व्यवस्था होती है, किसी भी संस्था के संचालन की व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है जो अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि अगर इसके विपरीत इन क्षेत्रों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था हो जाएगी तो शायद वह उपयोगी नहीं होगी और उसका विरोध भी हो सकता है। मान्यवर, जैसे इस विधेयक में यह कहा गया है कि राज्य विधान सभा जो इस संबंध में कानून पारित करेगी उसमें रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक स्रोतों की पारंपरिक प्रबंध पद्धतियों के अनुरूप होंगे, जो जनता की रूढ़ियों और परंपराओं की रक्षा और परिरक्षा करने के लिए सक्षम होगी और जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए और ऐसे कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों की पहचान के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करने की शक्ति निहित होगी। मैं समझता हूं कि इस तरह की यह पहली बार व्यवस्था की जा रही है कि जो इन क्षेत्रों के लोगों का रीति-रिवाज़ है, जो इनकी परंपरा है, उसको कोई आघात न पहुंचे। इनकी सम्पत्ति का अनुरक्षण होता रहे इस तरह का कानून बने और विशेष करके इनकी भूमि का गैर कानूनी तरीके से हस्तांतरण न हो सके ताकि ये अपनी भूमि से, अपनी सम्पत्ति से वंचित न हो सकें। मैं इस विधेयक की विशेषता मानता हूं।

मान्यवर, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भूमि व्यवस्था अधिनियम कहीं लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जमींदारी अधिनियम लागू किया गया और उसमें एक व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, जनजाति, इनकी भूमि को बिना कलैक्टर की परमिशन के कोई खरीद नहीं सकता है। इनकी भूमि को ले नहीं सकता है और उनकी भूमि पर अगर कोई कब्जा करता है तो पीनल लॉ में उसका प्रोसीक्यूशन होगा।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल में भी है।

श्री ईश दत्त यादव: हिमाचल में भी होगा। और यह व्यवस्था कर दी गई जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर कि किसी भी दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति की सवा तीन एकड़ भूमि से जब अधिक होगी तभी हस्तांतरण हो सकता है, इसके अतिरिक्त हो नहीं सकता है। इस तरह की इसमें व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, आपने घंटी बजा दी, मैं समय नहीं लूंगा लेकिन एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब संसद् से यह 73वां संविधान संशोधन पास हुआ... और पंचायतों के चुनाव हो गए, गांव पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक त्रि-स्तरीय पंचायतें बनीं—गांव पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। मान्यवर, पंचायतें तो बन गयीं, चुनाव भी हो गए और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन को कोई अधिकार आज तक नहीं दिए गए। जो मंशा थी संसद की, जो संविधान संशोधन की मंशा थी कि "पावर टू द पीपुल" यानी सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए, वह अधिकार नहीं दिए गए। उल्टे जो कानून की व्यवस्था है पंचायतों की, उस में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर का और कमिश्नर का हमेशा इन चुनी हुई संस्थाओं के ऊपर आतंक रहता है। मैं चाहता हूं मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें। मान्यवर, जन-प्रतिनिधि चुना जाता है और परगना अधिकारी जोकि एस०डी०एम० होता है, वह प्रधान को सस्पेंड कर देता है। कमिश्नर जिला पंचायत के अध्यक्षों के अधिकारों को समाप्त कर देता है और काम नहीं करने देता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में पंचायत व्यवस्था तो लागू हो गयी, लेकिन जिन शक्तियों को आप देना चाहते थे, उन शक्तियों को नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जहां चुनाव हुए पंचायत-राज एक्ट के अंतर्गत और जो यह नया विधेयक आप ने प्रस्तुत किया है जोकि कानून का रूप लेगा, इन सारे कानूनों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता द्वारा चुने हुए जो जन-प्रतिनिधि हैं, संस्थाएं हैं उन को वित्तीय अधिकार, प्रशासनिक अधिकार और सारे अधिकार होने चाहिए क्योंकि आज तक यह अधिकार उन्हें मिले नहीं हैं। मान्यवर मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। वहां के लोगों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है,. लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मैटर सब्जुडिस है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, केवल आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो यह कानून बने हैं और जिन के अंतर्गत चुनाव हुए हैं और यह नया कानून बन रहा है, इस के अंतर्गत चुनाव होंगे, उन में केन्द्र सरकार और आप देखें कि इन जनता की संस्थाओं को पूरे अधिकार मिलें। साथ ही वित्तीय अधिकार कुछ सीमा तक और प्रशासकीय अधिकार कुछ सीमा तक मिलें, तभी यह "पावर टू द पीपुल" जनता के हित में संभव हो सकेगा और देश में यह परिकल्पना तभी पूरी होगी जब इस कानून पर पूरी शक्ति से अमल किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): धन्यवाद। श्री वी०पी० दुरैसामी।

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil

Nadu): Sir, by introducing this Bill, the United Front Government makes it clear that it wants to take care of the Scheuled Caste and Scheduled Tribe people. When the provisions of this Bill are implemented, the oppressed sections of the society will get an opportunity to contest in panchayat elections.

For a long time, we have been having the reservation system in the general elections. The Seventy-Third and Seventy-Fourth Amendments to the Constitution provide an opportunity to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people to contest the elections for reserved scats in particular areas where the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people arc living in a majority. Sir, I understand, through some newspaper, that in a particular village, where the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are living in a majority, the State Government, the State Election Commissioner, has notified that a Schcdulc'd Caste man should contest for election as the Gram Panchayat President. The scat has been reserved for a Scheduled Caste man. But the non-SC and ST people are agitating against the reservation on the ground that a Scheduled Castt man should not be elected as the President of that particular village. I understand that there are many areas in various States where the elections could not be held because of the agitation of non-Scheduled Castes and non-Scheduled tribes people. Some State Governments have gone to the court and obtained some court orders not to contest Nagarpalika and Panchayat elections, with bad intentions. Dr. Mishra referred to the State of Tamil Nadu. When he was the Minister at the Centre, he had sent so many reminders to the previous State Government to do the needful. The problem is not confined to Tamil Nadu only, but there are other States also, those who arc not having confidence in the democratic set up and who are not willing to decentralise powers, which were conferred by the Constitution of India. These Slates are not at all coming forward to contest the Negarpalika and Panchayat elections. I would like to know the names of the States who are not willing to contest the Nagarpalika and Panchayat elections. Actually, such States are going against the ideals of Mahatma Gandhi. Under these circumstances what action is the Government of india proposing to take against such States? Will the provisions of 73rd Amendment or 74 Amendment be attracted against those States or will you revoke article 356 against such States? In a particular village, the . Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people could not come as President or Chairman of the Panchayat Union. I would like to know whether the Government will give suitable advice to the State Government to nominate persons for such posts from that particular area. I would like to inform Dr. Mishra that recently, the State Government of Tamil Nadu conducted the Nagarpalika and Panchayat elections.

In these elections, one woman from the Scheduled Caste category has been elected as Mayor of the Corporation from Thirunelveli, from where our hon. Member, Mr. Peter comes. Likewise, a Scheduled Castes woman has also been elected to the post of Deputy Mayor. By way of conducting these elections, so many Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates have come up as Panchayat Chirmen, President and the Municipality Chairmen. I think the Tamil Nadu Government is setting an example to the rest of the country by allotting 33 per cent seats for womenfolk. This percentage has been reserved for them to contest elections at all levels—Gram Panchayat level, Town Panchayat level and at the Corporation level. Wherever the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people have been living, they have been deprived of their right to contest election and come up as President or Chairman of the local bodies. Will the Government issue suitable instructions to the State Governments to nominate people from such areas for such posts? I

would like to know as to how many States have not conducted the elections to the local bodies'? What docs the Government propose to do in this regard? Thank you.

SHRI S. PETER ALPHONSE (Tamil Nadu): I thank you for this opportunity to participate in the discussion relating to the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Bill, 1996. This Bill intends to extend the benefit of the amendment to the Scheduled Areas, and I congratulate the Government for this step. At the same time, I would like to bring to the notice of the Government that when you are going to extend the law to a place where it was not applicable before, you should sec to it that the law is comprehensive, proper and final. In fact, Mr. Rajiv Gandhi was the spirit behind the 74th Amendment and the law was thought to be different when it was enacted. But subsequently due to political considerations the amendment itself was diluted and it did not carry the specific message which it should have carried. The law is not complete. It has got so many lacunae. I can point out one or two sections. The law needs to be changed before it is extended to the other areas. Recently in Tamil Nadu we had Panchayat elections after nearly a quarter of a century. The Madras Municipal Corporation saw an election after 27 years thanks to the amendment. But after the elections we call the Panchayat Act a law which permits kidnaping legally. Members may ask, "Why?". According to our old law, which we have in Tamil Nadu, the local Panchayat Union Chairman was elected by a direct vote. Now in the Seventy-fourth Amendment it is provided that the Panchayat Union Chairman or the District Panchayat President should be elected by the Council Members who are to be elected. So, every Panchayat will have 25 to 30 Panchayat and Council Members. They have to vote for the Panchayat Union Chairman. What we were able to see there recently was that immediately after the elections were over, all the Councillors were sought after. They were physically lifted, abducted and kidnapped and on one fine morning they were all brought to the election booth and those who were able to spend muscle power, money and energy got elected. Suppose the same thing is to be repeated in the hill areas, how can the basic and fundamental democracy survive? I think you have to make necessary amendments before you extend the law to other parts. I don't understand it. When we press for reservation, as a policy, it is correct. It is social justice. But everyone should have the sense of sharing power and all that. So, before you make the reservation you should see that the proper benefit of reservation goes to the proper people. I know what happened in one area about which my learned friend from the other side mentioned here. In a particular Panchayat the post was reserved for a Scheduled Caste man. What did the upper class do? They wanted their own man who, they thought, would be an eternal slave to them. They allowed only him to contest the elections and not the educated, enlightened section of the Scheduled Castes. In a village there was an educated man belonging to the Scheduled Caste. He was not allowed to contest the elections. They brought an ignorant man who could be subservient to the upper class people. He was allowed to contest the elections and fhe upper caste people spent money for him. They. stopped the other people from coming to the front. This is not reservation. This is really killing the very spirit of reservation. That is why I say that before you make any reservation, you see to it that qualified candidates are available to occupy that post. We had the same problem in selecting candidates for the corporations. Now we arc talking about 33% reservation for women. Where are those eligible ladies who can be in public life, who can give leadership, who can give guidance? So, before making reservation, before getting them elected, the Government should train them. The

Government should conduct leadership camps, training camps, etc., so that when they arc elected the real power goes to them. That is the point which 1 would like to make. Here it is stated that all the posts of Chairperson should be given to the Scheduled Tribes. All right, that should be done cent per cent. But before you give them the powers you should make them qualify to exercise those powers for the benefit of the people for whom this amendment is intended. Unless and until that is done, this piece of law will remain in book without putting into practice in spirit. With these words I conclude. Thank you.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I fully agree with this Bill. Merely passing this Bill is not sufficient. But it must be seen that it is properly and effectively implemented. Otherwise, there is no use of passing such a Bill. I would like to mention here two things. I would like to quote clause 4 (m) (iii). It says:

> "the power to prevent alienation of land in the Scheduled Areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a Scheduled Tribe".

This relates to cases where properties arc alienated. Once a property is sold, it is automatically registered under the Registration Act. Somebody becomes an owner by a registered document. Sir, it leads to a lot of litigation. The point is whether one is entitled to purchase the land and whether the land itself is alienable or not. These are the factors which are there. A lot of cases are coming before courts for adjudication. 1 have been handling in the courts several civil and criminal cases from Janvathi. Hills of North Arcot where properties have been alienated. They get a handle by way of registered documents. I would like to suggest that if a property of alienable character were to be transferred by registration, such registration should be refused. If this done, most of the litigations could be avoided. That is one point.

My next point is about ownership of minor forest produce. $ir, I am making my submission with reference to an area known to me, *i.e.* Janvathi Hills of North Arcot district, Tamil Nadu where minor forest produce is openly auctioned. But the tribal area people are not able to compete with them and are not getting any benefit. The people from the non-tribal area compete and get the whole benefit. All the tribal people are working as labourers under them. That is one thing. My next point is about cases of criminal nature. There are police stations in hilly areas. What the police do is this. They want to extract money from the tribal people. If they give some money, they don't register a case, but if they don't give money, they do register a case. Whether it is felling of sandalwood or cutting of trees, false cases are being filed by the police as well as the forest authorities.

My next point is about the forest area. The tribal people are occupying some land and cultivating it for centuries together. They have been asking for its transfer and assignment of the land. But no assignment has been done so far and leasehold right has also not been given. So they are extracting everything from these people. If these people refuse to give something, they arc booked under the'Forest Act. This is the plight of the people. They are living in these conditions. So far as Janvathi Hills are concerned, people of this area were demanding a separate Panchayat union which has been given recently. At the same time, they have been demanding a separate constituency. But it has been denied. Janvathi Hill area is spread over five Assembly constituencies. There can be a separate constituency for this area. There are more than two lakh voters in this area. There has been a constant demand from the tribal people to allocate a separate constituency. But it has been denied. One Andi Goundcr

from that area, who is a veteran, who is a freedom-fighter, also, has been agitating for all these things for a long time. But their demand has not been met.

Funds arc allotted to the Tribal Welfare Department. A Lot of funds for various schemes arc given. But these people do not enjoy the benefit. A Hundred per cent money is released. But ultimately, not even 10 per cent reaches the tribal people. Ninety per cent of the money is pilfcraged by the intermediaries. We want to sec that tribal areas develop and that is a laudable objective. The Central Government allots funds for this purpose. But it should also sec that these funds reach the tribal people. Unless this is ensured, there will be no use of passing such legislations. We should ensure that it is effectively implemented. Only then will the legislation achieve its desired result. With these words, I conclude. Thank you.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill provides for the extension of the provisions of part IX of the Constitution relating to Panchayats to the Scheduled Areas. In Gujarat wc had the Gujarat Panchayat Act right from 1961. We have the Land Control and Tenancy Act which controlled the land belonging to Adivasis and Scheduled Castes. This Bill is going to provide for an extension so far as power is concerned. But this Bill does not say anything so far as income of the Panchayat is concerned. 'Some provision should have been made so that the Panchayats in Scheduled Areas could raise income. Wc do not find anything like this in the Bill. On the contrary you arc going to burden them by introducing the clause: "The recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas." Now the Panchayats will have to bear the expense. I feel the Panchayats will be left with nothing because powerful persons have already grabbed land containing mineral deposits. They should be given powers to get this land back. Only then will this legislation be welcome. Otherwise, the Bill will not serve any purpose. I would like to say something about the clause: "The power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant." In Gujaral the Prohibition Act was in existence right from 1951. But wc have found that it has some defects. Mr. Vicc-Chairman, sir, I conic from Distt. Panchmahals Godhra in Gujarat. My district consists of 6 talukas. Adivasis belonging to this place eat *Mahuvra flower.* In summer they collect this as food. But because of prohibition and the vacation period from September to February, they are not allowed to *possess Mahuva flower.* Something must be done about this. The Bill could have been made more liberal in this respect so that Adivasis do not face any hardship.

This particular extension of power to the IX part of constitution for a panchayat in the scheduled area will give a permanent solution as far as the chairperson is concerned. It is going to be resolved for ever and the rest of the members will be according to trie population or community as it exists there. It has been well prescribed in Clause 4 but at the same time I would like to suggest one more thing. In Gujarat, formerly, before this Panchayat Act was implemented, elections were held according to the Municipalities Act and the Corporations Act. But those Acts were repealed because of the introduction of the Panchayat Act in 1993. But at the same time, in the district panchayats the members of parliament were ex-officio Members. But this Panchayat Bill lacks this. Now all the members belonging to Scheduled Castes, particularly those who are elected from their area will not have representation in the district panchayat or in the taluka panchayat. Therefore, the sitting Members of Parliament should be there as honorary members so that they can represent their needs. Regarding

money-lending. I do not think the manner in which they are going to control money-lending among the scheduled areas has been shown. I would like to submit that some clarification must be sought or else an amendment may be brought forward so that the peoples' monetary burden is eased. The powers vested in Gram Sabha are all welcome and therefore, I welcome the Bill. (Ends)

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): Mr. Vice-Chairman, it is not without significance that today's session, while the Bill is under discussion, is being presided over by one of the tallest leaders of the Scheduled Tribes. It is a very befitting tribute. However small and humble worker 1 am today in political life it is on account of the Panchayati Raj and the cooperative institutions. I have been a member of a Gram Panchayat, I have been a member of a Panchayat Samiti; Chairman of a Panchayati Samiti twice. I have been Panchayat Minister in 1967, 30 years back. I was Chairman of the Committee which was constituted to look into the Panchayati Raj system. I went to Gujarat, the Gujarat Bill at that time was known to be a model Bill. In 1961, in Northern India in Chandigarh when Pandit lawaharlal Nehru inaugurated the first Panchayati Raj Elected People's Conference I was present there as Chairman of a Panchayat Samiti. With this background. Sir, I would like to take minimum time and add a few words about my long experience. Still I belong to a small village, a small area and connected very much with panchayat people. Before saying that I am very happy that this. Bill has been brought forth although very, very belatedly after 50 years of independence. It is being extended to the areas which arc socially, economically, the most backward in this country. It should have been done much, much earlier. What I wanted to say is, my experience is that the lowest employee in the Gram' Panchayati system, even in an area like Northern India which is supposed to be more enlightened and progressive in politics, is the master.

The secretary of a gram panchayat is the master. The sarpanch is his servant. He is the-agent of the BDO and other officers. The sarpanch is made to put his thumb impression on the proceedings and the cheques. The money is totally operated and drawn by the secretary and other functionaries. Ultimately, 90% of the sarpanches of the gram panchayats are arrested as criminals under section 406 or 409 of IPC. These people had to pay a very heavy price. Today the bureaucracy—the Deputy Commissioner, the SDM, the BDO, the Director of Panchayat Raj and other officers—uses the elected people as their tools. This is the factual position. I may be permitted to quote one or two instances. What is happening today in my own State, after the Constitutional Amendment Act, which was a dream of late Shri Rajiv Gandhi, was enforced in 1993? The Deputy Commissioner of my district is bent upon suspending or removing all the Scheduled Caste and the Backward Class sarpanches. He has been threatening like that. He is issuing notices to most of them. A number of panchayats are under suspension. With the support of many of my friends, we are proposing to hold a State-level convention, a State-level conference to guard against exploitation of the weaker sections at the hands of the bureaucracy. These officials are being supported by the political people of the area. A large number of areas have people who got elected on the basis of reservation of seats. The elected women members are the worst hit. They are not being allowed to function properly. This is the state of affairs today.

I am very happy that very important aspects have been included in this Bill. The Bill provides that the elected representatives would be allowed to manage matters relating to forest areas, mine and mineral areas, etc. It is said that they are going to manage everything. But there is a proviso to it which says

that all these powers arc to be vested in them only when the State Government concerned makes the necessary laws and rules. But after making of the laws and the rules by the Government, if the officers who arc expected to sec that this scheme is implemented properly have a mental frame which is anti-poor, anti-tribal, anti-Schcdulcd Castes, anti-Backward classes, with deep-rooted prejudices against females, I don't know how this is going to be implemented. I have a great doubt whether the benefits proposed under this Bill would accrue to the tribals even after passing of this Bill. I wise the benefits accurcd to them.

With these words, I thanks you, Mr. Vice-Chairman, for giving mc this opportunity.

श्री महेश्वर सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने माननीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया है, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। इसके साथ ही चर्चा में भाग लेते हुए इस सदन के माननीय सदस्य डॉ० जगन्नाथ मिश्र ने एक बात कही, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र में मद्य-निषेध होना चाहिये मैं उनकी इस बात का विरोध करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि बिहार में क्या स्थिति है लेकिन महोदय, आप भी हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी रखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में तीन जनजातीय क्षेत्र हैं। दो जनजातीय क्षेत्रों को तो ज़िले का दर्जा दिया गया है, वह हैं किन्नौर जिला और लाहोल स्पिति जिला और तीसरा है पांगी भरमौर क्षेत्र जो जिला चम्बा का एक सब डिविज़न है। इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग विधान मण्डल हैं। तीन विधायक इन क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में रिप्रेज़ेंट करते हैं। महोदय, यह तीनों क्षेत्र चाइना बार्डर के साथ लगते हैं। सच पूछो तो इन क्षेत्रों के जो आदिवासी लोग हैं, वह देश के प्रहरी हैं। यह ऐसे क्षेत्र हैं जो देश के बाकी हिस्सों से लगभग 6 महीने तक बर्फ के कारण, हिमपात के कारण कट जाते है। यातायात का कोई साधन नहीं रहता। यह क्षेत्र बर्फ से ढके रहते हैं। यहां पर मदिरापान कोई फैशन नहीं है। वह उनकी आवश्यकता है। इसीलिए यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। यहां तक कि कोई मर जाए, मृतक की लाश घर में पड़ी रहती है तो भी लोग पीते हैं। खुशी का अवसर हो तो पीयेंगे ही। अगर मदिरा निषेध ऐसी जगह किया जाएगा तो बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। उनके लिए तो पूरी छूट है। यहां तक कि वहां पर बौद्ध धर्म के होते हुए भी गुरूओं ने लामाओं तक को मदिरापान और मांस का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है। इसलिए इन क्षेत्रों में मदिरापान निषेध की बात न करें।

[उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) पीठासीन हुए]

महोदय, दसरी बात मैं यह कहना चाहंगा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि यह लोग हमारे देश के प्रहरी हैं। इन लोगों का वहां रहना आवश्यक है क्योंकि वह शतप्रतिशत सारा जनजातीय क्षेत्र है। महिलाओं की संख्या वहां बहुत कम है। इसलिए वहां आज तक बहु-पति प्रथा चल रही है। ऐसे क्षेत्रों में मदिरा निषेध की बात न हो और वहां जो उनकी उपज है, मुख्यतया वह लोग कृषक हैं और अपनी उपज को बेच कर ही गुज़ारा करते हैं। वहां के आलू का बीज बंगाल तक सप्लाई होता है। दूसरा वहां हाप्स का फूल पैदा होता है। इस फूल का इस्तेमाल बीयर के फरमेंटेशन में होता है। जब तक आपका गैट समझौता लागू नहीं था और उदारीकरण की नीति की सरकार बात नहीं करती थी तब उनको अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब इस फूल का आयात हो रहा है जिसके कारण उनको अपनी उपज बेचना समस्या बन गया है। अनेकों बार इस जनजातीय क्षेत्र के लोग दिल्ली में पहुंचे है, केन्द्र की सरकार से भी मिले हैं। मुझे लगता है कि शायद ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से भी मिले होंगे, कृपया उनकी इस समस्या का समाधान करियेः अगर उनको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, गैट समझौते को ले कर अगर आप मार्किटिंग की बात कहेंगे तो वह कंपीट नहीं कर पायेंगे क्योंकि जो बाहर से हॉप्स का फूल आता है, वह बहुत सस्ता पड़ रहा है। इसलिए उनकी उपज नहीं बिक रही है। अगर उनकी उपज नहीं बिकेगी तो एक दिन वह अपने क्षेत्रों से पलायन करने पर मजबूर हो जायेंगे। अगर इन जनजातीय क्षेत्रों के लोग पलायन कर के दूसरे क्षेत्रों में आ बसेंगे तो इस सीमा पर देश का प्रहरी कोई नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि हिमाचल प्रदेश के इन जनजातीय क्षेत्रों में बसे हुए लोगों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा विशेषकर हॉप्स की जो समस्या है जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी भारत सरकार को अनेकों बार लिखा है, इस ओर विशेष ध्यान

दीजिये। एक बात की ओर मैं मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब आप क्षेत्रों की डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं और सरकार एक विधेयक भी लाने वाली है, कम से कम उस समय विचार करिये के हिमाचल के यह तीनों जनजातीय क्षेत्र हैं, उनकी कांटीग्युटी है, डेढ़ लाख के करीब आबादी है इन का प्रतिनिधि संसद में होना चाहिये। अभी यह स्थिति है कि यह सारे के सारे विभिन्न ज़िलों में होते हुए भी मंडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। वहां पर उनका प्रतिनिधि इन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकता। उनको सही प्रतिनिधित्व मिले भले ही वहां आबादी कम है। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब भी यह मांग उठेगी माननीय मंत्री महोदय का हमें पुरज़ोर समर्थन मिलेगा। वहां के लिए अलग संसदीय क्षेत्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बात रखने का यह अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री अब्दुल गैयूर कुरैशी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करने केलिए खड़ा हुआ हूं। अभी जो बहस हुई है इस बिल पर उसमें अधिकांश जो तर्क दिए गए हैं वे पंचायती राज सफल हुआ या असफल हुआ, उसमें क्या अड़चनें आयीं, उस बारे में हैं, या यह कहा गया है कि इस प्रकार से आदिवासियों का शोषण जो है वह होता रहा है और जब तक कि इस संबंध में उनका परिरक्षण नहीं होता तो अगर ये अधिकार उनको दे भी दिए गए तो भी यह शोषण होता रहेगा। वास्तविकता यह है कि इस बिल को देखने से स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि जो 74वां संशोधन हुआ संविधान में 24 अप्रैल, 1993 को उसमें अधिकार दिए गए स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि वे अपने अपने राज्यों में पंचायतों को अधिकार देने के लिए कानून बनाएं और उन कानूनों के अंतर्गत वे पंचायतें जो हैं उन अधिकारों का उपयोग करें। संविधान में यह प्रावधान भी है कि जो शिड्यूल्ड एरियाज है उनमें इस कानून को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि पार्लियामेंट एक बिल पास करके इस कानून के जो प्रावधान है वे शिड्यूल्ड एरियाज में भी लागू करें और वास्तव में यह बिल उस उद्देश्य के लिए लाया गया है। जहां तक पंचायती राज का सवाल है इस संबंध में संविधान में संशोधन हो चुका है और पंचायती राज हालांकि तीन प्रदेशों में वर्षों से चल रहा है उसके बावजूद भी जो स्टेटस है पंचायतों को वह इस संविधान में संशोधन के बाद ही उपलब्ध हुआ है और उसके अंतर्गत राज्य शासन ने जगह जगह कानून बनाए हैं। एक बात आदरणीय सदस्य जगन्नाथ मिश्र जी ने बतायी है जो केन्द्र में पंचायत राज मंत्री भी रह चुके हैं और वह सही भी है कि इन राज्यों ने जो कानून पास किए हैं उनमें इस कानून को पूरे प्रदेश में, जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, लागू कर दिया गया है और अगर संविधान को हम स्ट्रिक्टली देखें और इस चीज को देखें तो इस कानून के बिना वह लागू करना उचित नहीं है। इसमें जो खास चीज बतायी गयी है वह यह है कि जब आप इस कानून को लागू करेंगे तो उसमें पंचायतों के जो अधिकार हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतें हैं, उनमें कुछ बातों को सुरक्षित रखा गया है। एक तो उनकी परंपरा, धार्मिक और जो उनके अपने कबीलों के मुताबिक परंपराएं है उनको सुरक्षित रखा गया है, उनकी नीतियों को सुरक्षित रखा गया है; अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि एल्कशन को ला बना दिया गया है कानूनी बना दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला जो है — माननीय गुजरात के सदस्य जो हैं वे परिचित है, उन्होंने जिक्र भी किया वहां भगौरिया का त्योहार होता है और भगौरिया के अंदर शादी इस तरह होती है कि वहां अगर लड़का और लड़की राजी होते हैं तो वहां साथ में चले जाते हैं। चले जाने के बाद खबर करते हैं अपने माता पिता को। माता पिता फिर कीमत रखते हैं लड़की की और लड़कों को कहते हैं कि तुम क्या यह कीमत देने के लिए तैयार हो। अगर वह पति देने को तैयार होता है तो लड़की वहीं रुक जाती है। अगर पति उस स्थिति में नहीं होता है तो लड़की खुद मना कर देती है कि उसे नहीं रहना है। उसमें फिर यह स्थिति आती है कि जब वह झगड़ा पंचायतें नहीं निपटा पातीं तो फिर पुलिस में रिपोर्ट होती है और वह 366 का एब्डशन का केस बन जाता है। तो वास्तव में क्या है कि जो उनकी एक सामाजिक परिपाटी है, जो एक परंपरा है, कानून के अंदर यह जुर्म बन जाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उनकी जितनी रूढ़ियां है, परंपराएं है जो सोसाइटी में स्वीकृत हो सकती है उन सब परंपराओं को आइडेंटीफाई करने के बाद उनके अनुसार कानून बनाकर, उन एरियाज के अंदर वे अमेंडमेंट करके रिलेक्सेशन देना चाहिए। फिर इसमें पंचायतों को जो अधिकार दिए हैं, वे अधिकार और बहुत सी चीजें ऐसी है जो पहले से कानून में हैं तो वे सब ग्राम पंचायतों के साथ कैसे रहेंगे? जैसे मनी लेंडर्स एक्ट है। मनी लेंडर्स एक्ट के तहत बंदिश है साहूकार के ऊपर चाहे वह आदिवासी क्षेत्र में हो या सामान्य क्षेत्र में। इसी प्रकार वैरियस लोन एक्ट्स हैं जहां सूद नहीं बढ़ सकता है मूल से। तो ऐसे बहुत से कानूनों का

प्रावधान पहले से है। लेकिन इसमें प्रावधान यह किया गया है कि अगर आपको पंचायत के तहत कोई कानून बनाना है तो उसमें जो ग्राम पंचायत है आदिवासियों की उनसे परामर्श किया जाएगा...।

म०प० 4.00

कानून में मामले में, रीति-रिवाज़ के मामले में, धार्मिक रूढ़ियों के मामले में और दूसरे जो माइन्ज़ एंड मिनरल्ज़ लीज़ पर देने के मामले है उनमें। वहां जो पंचायत है, ग्रामसभा है, अगर पंचायती लीज़ देना चाहे तो वह राय लेगी, परामर्श लेगी। इसके अलावा दूसरे और जो प्रोग्राममज़ है इकोनोमिक रिफार्मेशन के उस बारे में भी ग्राम सभा का, से प्रीडोमीनैंट रहेगा। ये सब प्रावधान है और साथ में यह प्रावधान भी है कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हुए हैं इनके अनुरूप अगर कोई कानून बनेगा तब ही वह कानून इस एरिया में लागू होगा, नहीं तो वह कानून अल्ट्रावायरस करार दिया जा सकता है। अगर कोई आदमी उसको चैलेंज करेगा तो राज्य शासन को भी यह अधिकार नहीं होगा कि जो यह कानून यहां तय कर दिया गया है इसके विपरीत कोई कानून बनाए और उनके जो अधिकार है जो इनहैरेंट हैं तो उनकी सुरक्षा हो सके। एक मर्तबा यह आइडेंटीफिकेशन करने के काम में मैं साथ में रहा। मैं नौकरी में था तब लॉ सेक्रेटरी आदिवासियों के एरिया में गए थे। जो इनकी रीति-रिवाज़ हैं उन्हें मालूम कर मुझे यह आश्चर्य हुआ कि आदिवासियों की ईमानदारी की इंतहा कहां तक है। वहां कुछेक कबीलों में लोग गाय का दूध भी नहीं लेते। वे गाय का दूध इसलिए नहीं पीते है कि वह दूध बछड़े के लिए भगवान ने बनाया है। उनका कहना है कि अगर वे दूध पीते हैं तो यह बछड़े के दूध की चोरी करना है। यानी नैतिकता का इतना उच्च स्तर आदिवासियों के अंदर है। उन सब बातों का संकलन करके मैं केन्द्र को सजेस्ट करूंगा कि जैसा मध्य प्रदेश में वह किया है एक हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट बनाकर और उसको कानून बनाने के लिए भेज भी दिया गया है, इसलिए मैं तो ग्रामीण विकास मंत्री जी से रेक्वेस्ट करूंगा कि वह इस प्रकार का एक सैल यहां बनाकर, पूरे देश में जो आदिवासी हैं, उनकी क्या-क्या परंपराएं है, क्या-क्या रूढ़ियां है, उन सब को आइडेंटीफाई करायें और जहां उनकी हार्डशिप है या कानूनी तौर पर कुछ है तो उसमें सहायता करें। अब वह बताया गया है कि बेदखल के अंदर कई लोग हैं। अब यह हुआ कि बहुत से नेताओं ने, किसी पार्टी के भी हों, आदिवासियों से कह दिया कि यह जमीन तुम्हारी है, तुम इसे जोतो, तो उन्होंने जंगल काटकर उसे जोतना शुरू कर दिया। अब वे अतिक्रमक हो गए तो कानूनी कार्यवाही हो गई। इस प्रकार उनका ट्रेड चेंज करने की जरुरत भी है और साथ में जो उनकी रीति-रिवाज हैं उनके संरक्षण की आवश्यकता भी है।

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार का सैल कायम करें और साथ ही साथ प्रशिक्षण का प्रावधान भी करें जैसे पहले हुआ करता था। पहले हैदराबाद के इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण करने, जब हम विधायक लोग थे, उस समय, ऐसे बहुत से लोगों को भेजा था। 1962 की बात है। अभी ऐसा प्रशिक्षण क्यों नहीं हो सकता है और उसी प्रकार का आदिवासियों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? आदिवासियों के लिए विशेष रूप से ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए। वास्तव में अगर वे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट में जाएं और स्वशासन के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाए तो वहां पर वे लोग अपने को योग्य और समर्थ सिद्ध कर सकेंगे। यह जो शिकायत है कि सब अफसर जो हैं वे अफसरशाही के अंदर उनको दबाए रहते हैं, उन पर केस चलते हैं और अफसरों पर नहीं चलते, तो उस बारे में भी उनको ट्रेनिंग मिल सकेगी और समझ सकेंगे और सही मायनों में जो पंचायती राज का स्वप्न है वह इन क्षेत्रों में, शैड्यूल्ड क्षेत्रों में, उनका वह स्वप्न साकार कर सकेंगे।

इन बदों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): धन्यवाद। यह कुरैशी साहब की मेडन स्पीच थी और उन्होंने जो कानूनी तौर पर किस तरह से हम उनकी सांस्कृतिक अस्मिता और परंपरा की रक्षा कर सकते हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाया। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर कही और भी जो विशेषताएं हैं जगह-जगह पर ट्राइबल्ज़ की या ट्राइबल क्षेत्रों की उनको भी एकत्रित करना चाहिए। साथ ही साथ, जो हैदराबाद में हमारा इंस्टीट्यूट है वह बड़ी अच्छी है और भी पहले से बढ़ गई है, वहां पर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि किसी तरह का शोषण नहीं हो सके या यह अफसरशाही उनके ऊपर हावी नहीं हो सके जो कि ट्राइबल क्षेत्रों से हमारे प्रतिनिधि आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं और मैं यह मानती हूं कि आज नहीं

बल्कि पंचायती राज विधेयक में जब हम ने कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, 1992 में पारित किया था, उस के साथ-ही-साथ यह विधेयक पारित हो जाना चाहिए था। खैर "देर आयद दुरुस्त आयद।" हमारी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के प्रधान मंत्री जी को और विभागीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि वह यह विधेयक लाए।

महोदय, हमारे देश की लगभग साढ़े 7 प्रतिशत आबादी आदिवासी जन-समुदाय की है और इन की अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी जीवन शैली है। हम जरूर यह चाहते हैं कि देश की मुख्य धारा में उन को मिलाया जाय, लेकिन साथ-ही-साथ हम यह भी चाहते हैं कि उन की अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली या उन की जो भी पद्धति है, वह भी बनी रहे। महोदय, मैं बिहार से आती हूं और कहना चाहती हूं कि बिहार में शुरू से ही आदिवासियों की भू-संपत्ति की रक्षा के लिए कानून बने हुए हैं जिसे हम छोटा नागपुर लैंड टेनेंसी एक्ट कहते हैं। इस के तहत न कोई आदिवासियों की जमीन खरीद सकता है और न कोई बिक्री कर सकता है।

One cannot sell the land or one cannot buy the land of the tribal people in Ohota Nagpur.

महोदय, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आज भी ऑपरेशन में है। मैं जानती हूं कि इस के एवेरशंस होते हैं जैसे कि किसी गैर-आदिवासी ने किसी आदिवासी लड़की से शादी करली और उस के बाप से यह लिखवा लिया। यह एवेरेशंस होते है और समाज में हर जगह एवेरशंस हैं। वहां भी कुछ-न-कुछ हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत अंग्रेजों के जमाने से आदिवासियों के लिए यह जमीन की सुरक्षा आज भी लागू है। महोदय, एक और पद्धति हमारे छोटा नागपुर में देखने को मिलती है, खासकर चायबासा जमशेदपुर के इलाके में, कि हो जातियों के बीच में व मुंडा जातियों के बीच में यह ज्यादा है जिस को मानकी मुंडा पद्धति कहा जाता है। यहां एक गांव में वह खुद ग्रामसभा को चुनते हैं। ग्राम सभा के जो मुखिया होंगे, उन में एक को मुंडा कहते हैं और दूसरे को मानकी कहते हैं। महोदय, उन को लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर सरकार को देने का अधिकार था और उस का कुछ हिस्सा उन को अपनी ग्राम सभा के लिए, अपने गांव के विकास के लिए वह उस के उन्नयन के लिए रखने का अधिकार मिला हुआ था। महोदय, पंचायती राज विधेयक पारित होगा और यह बिहार में जब भी हो जाय, हम ने इस मानकी मुंडा पद्धति को मानकर चलने की बात सोची है क्योंकि अगर उन की इस पद्धति को हटाया गया तो फिर उन के बीच में कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। इस तरह वह मानकी मुंडा पद्धति के तहत काम चलाते हैं, खासकर रेवेन्यू कलेक्शन और छोटा-मोटा एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता है। तो यह जो विधेयक सरकार लाई है संविधान के 11वें और 9वें शेड्यूल में संशोधन कर के, इस में भी मुख्यतः मानस यही है कि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा हो, आदिवासियों की परंपरा की सुरक्षा हो और उन की जीवन शैली की सुरक्षा हो। ठीक है, वह अपने घर में महुआ चुलाते है। फिर उस से रस निकालते है और पीते है और शहर की ब्रांडी और बियर वह नहीं पीते है। वह अपने घर के चावल का हड़िया बनाकर पीते है और सामूहिक रूप से गांव में जब फेस्टिवल होता है तो उस में सारे लोग मिलकर एंजॉय करते है, नाचते-गाते और पीते है। तो वह भी उन को अधिकार दिया जाए और उन के ऊपर कोई प्रभावी चीज इम्पोज नहीं की जाए।

महोदय, महाजनी प्रथा को कंट्रोल करने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। महोदय, मैंने छोटा नागपुर के चेरों इलाके में, पलामू इलाके में खुद देखा है कि बाहर से महाजन आकर लोगों को कर्जा देते हैं और उस के बदले उस के खेत की सारी फसल को काट लेते है। महाजन कहते हैं तुम्हे उस फसल का अधिकार नहीं है। महोदय, मैंने स्वयं 1980 में यह देखा है जबकि मेरे दल ने मुझे इंक्वायरी करने के लिए कहा था। उस में ऐसे ही एक केस में गांव वालों ने फैसला किया कि हम फसल खुद काटेंगे। अपनी मेहनत की कमाई हम महाजन को देनेवाले नहीं है क्यों हम उन को पैसा देते आ रहे है। फिर गांव वालों ने अपनी फसल काट ली और नतीजा यह हुआ कि लोकल पुलिस की कनाइवेंस से पूरे गांव के ऊपर हमला कर के गांव की औरतों को "मास रेप" किया गया। महोदय, उस की इंक्वायरी के संबंध में मुझे वहां अपनी दल की ओर से भेजा गया था। अब इस कानून के पारित हो जाने से उन की अपनी जमीन की सुरक्षा, अपनी फसल की सुरक्षा, अपनी महेनत की सुरक्षा और महाजनों से सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए, महोदय, मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि यह विधेयक लाने का जो काम पहले होना चाहिए था वह काम उन्होंने किया है और इस देश की साढ़े सात प्रतिशत आबादी, जो जंगल व पहाड़ों में रहने वाली है, ऐसे लोगों की सुरक्षा की बात, आमूलचूल सुरक्षा की बात सरकार ने सोची है।

महोदय, मैं हरेक प्रावधान में विस्तार-पूर्वक नहीं जाना

चाहती, एक-एक डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इस पर कहा होगा। प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा होगी, प्रत्येक पंचायत में चुनाव कैसे होंगे, प्रत्येक पंचायत के प्रभावी कौन होंगे और काम कैसे चलेगा, यह सारा प्रावधान इसमें दिया हुआ है। जीवन के प्रत्येक हिस्से को आदिवासी लोग कैसे खुद देखेंगे, उसकी सारी बात इस विधेयक में दी हुई है। मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं और यही एक बात कहती हूं कि जो काम पहले होना चाहिए था, वह काम हमारी सरकार ने, जो सोशल, जस्टिस की सरकार है, इस सरकार ने इस काम को किया है। इसलिए मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे एक बात की आशंका है कि यह जो शेड्यूल्ड एरिए में ग्राम पंचायत को लाया जा रहा है, वह तो लाया जाना चाहिए, नहीं तो वह पंचायती राज की जो परिकल्पना है और जो हम लागू करना चाहते हैं वह पूरे देश में और हर क्षेत्र में लागू नहीं हो सकेगी, लेकिन कुछ हमारे मित्रों ने जो सवाल उठाया है, सही सवाल उठाया है, खासकर के जो आदिवासी इलाके हैं वहां उनके अपने पंचायती सिस्टम हैं और इस पंचायत को लागू करने से उनकी जो अपनी पंचायत ट्रेडीशनली चली आ रही है, उस पर असर पड़ेगा। हम चाहेंगे, माननीय मंत्री जी बैठे है, कि हमारे देश में जो लोगों के अपने कस्टम है, परंपरा है, उसको आप अचानक कानून बनाकर नहीं तोड़ सकते और अगर तोड़ना चाहेंगे तो उसका उस पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो उनके अपने कस्टम है, परंपरा है, उस परंपरा को बचाया जाना चाहिए और सूदखोर, महाजनों से उनकी जमनी की सुरक्षा, जिसकी चर्चा श्रीमती कमला सिन्हा जी ने की है, की जाना चाहिए। वैसे इसके लिए अलग से कानून है, हमारे बिहार में छोटा नागपुर संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट है, दूसरी जगहों पर भी होंगे, तो उनकी जमीन की सुरक्षा करते हुए और उनके जो अपने कस्टम और ट्रेडीशन हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए ताकि उनके अन्दर कोई विरोध न हो।

महोदय, हमें इसी बात की ओर इशारा करना था। वैसे हम इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

*† [] Transliteration in Arabic Script.

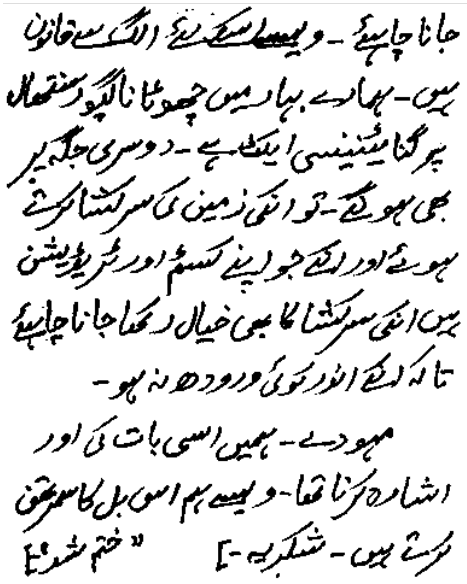

SHRI K YERRA NA1DU: Mr. vice-Chairman, Sir, first of all, 1 thank all the hon. Members who have takes part in this debate. All of them have supported this Bill.

Some Members have raised the issue of inadequacy of the provisions of Part IX of the Constitution. But Sir, through this Bill, we cannot amend Part IX of the constitution. However, this Bill seeks to correct the deficiencies in relation to the Scheduled Areas.

As you know, through the 73rd Amendment Act, we inserted Part IX in the Constitution-article 243. Through this amendment, elaborate powers were given, there was devolution of powers; financial and other powers. But this Part did not apply to the Scheduled Areas. Some people approached the High Court. The High Court gave the judgment that as per the provisions of article 243 M, Part IX of the Constitution cannot be made applicable to the Scheduled Areas, without Parliament making a law in this regard. That is how this Bill is before the House. That is why we are making this law. The hon. Member, Prof. Ram Kapse mentioned about prohibition in the Scheduled Areas. Regarding prohibition, section 4(m)(i) says this:

> "the power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant;"

So, the powers are vested in the Gram Panchayat. We have not stopped the customary things, whatever they take, liquor and other preparations. Suppose they want to prohibit IMFL or whatever it may be. they can stop it or whatever they want. The powers are vested in the Gram Panchayat and the Gram Sabha. We are making provisions like this. So, we are not prohibiting everything by law, but the power has been vested in the Gram Panchayats. They can make laws.

About money-lending also, this bill provides for giving powers to Panchayats to control money-lending. If they want, they may give powers to the Panchayats. If they do not want to give it to anybody, they will not do that. So, if they want funding by financial institutions, they will not allow private money-lending. Those powers will be vested in the Gram Panchayats only.

Some Members raised the issue of financial resources. Under Part IX of the Constitution, financial powers have been delegated to the local self-government. The Finance Commissions have submitted their reports to the State Governments. The States of Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Panjab, Assam, West Bengal, Karnataka and all other States have appointed Finance Commissions. The Finance Commissions have submitted their recommendations to the State Governments on how much, what percentage of the money of the State should devolve on the local self-government and everything else.

We are periodically'convening meetings of all Panchayati Raj Ministers to deliberate on Part IX of the Constitution, the eleventh Schedule of the Constitution

† [ ]Transliteration in Arabic Script.

and what items in the eleventh Schedule devolve on the local self-government. We arc telling the State Governments to implement strictly the finance Commissions' recommendations. The Union government is acting like this.

In sum, this Bill provides that the Gram Sabhas should identify the beneficiaries of the poverty-alleviation programmes and everything else. Regarding the Scheduled Areas, all powers, even execution of works, identification of the beneficiaries of the rural development programmes, selection, expenditure and everything else is done by the Gram Panchayats only. After this Bill is passed and it becomes an Act, based on the Act and on the laws implemented in the Scheduled Areas, the State Governments will make legislations.

Clause 4(o) has mentioned:

> "the State Legislature shall endeavour to maintain the pattern of the sixth Schedule to the constitution while designing the administrative arrangements in the Panchayats at district levels in the Scheduled Areas."

The Sixth Schedule deals with scheduled tribal areas like those in Meghalaya, Assam, Manipur etc. So, they will make administrative changes, if any, taking into consideration the Sixth Schedule also. We have provided in the Act that the States shall take action based on that.

Since this law is pending for a long time, some States are requesting that this law should be enacted. Otherwise, there is no local self-government in the Scheduled Areas. That is why I have initiated this Bill. All political parties have unanimously accepted the Bill. I congratulate, them all. I request all the Members to pass this Bill.

PROF. RAM KAPSE: As I have mentioned, as far as the townships in the rural areas arc concerned, the municipal elections cannot be held there because of non-passing of this Bill.

Now, if we pass this Bill for the rural areas, the townships in the rural areas in Maharashtra, Karnataka and Andhra are going to face a problem. There is a problem in every State. Luckily the Urban Development Minister is there. If he introduces a Bill immediately, the elections which have been postponed in the townships of the Scheduled Areas, can be held.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think, the Minister will take note of the suggestion.

PROF. RAM KAPSE: But, it belongs to the other Department. The Urban Development Minister is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI-NATH CHATURVEDI): It is a collective responsibility. He will take note of it.

SHRI K. YERRAN NAIDU: Sir, the 73rd Constitution (Amendment) Bill relates to rural areas. The 74th Consitution (Amendment) Bill relates to Nagarpalikas. My colleague, the Minister, is also here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Both are supplementary and complementary and it has been noted. The Minister for Parliamentary Affairs is also here. It is a good_ suggestion that Prof. Ram Kapse has made.

Now I will put the motion.

The question is:

> "That the Bill to provide for extension of the provisions of Part IX of the Constitution relating to the Panchayats to the Scheduled Areas, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): The question is that Clauses 2 to 5 ...

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh): Sir, I have an amendment to move to Clause 4.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI

TR1LOKI NATH CHATURVEDI): I think in view of the clarifications given by the hon. Minister, you may like to ...

SHRI RAGHAVJI: But, on that point there has been no clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): But the Minister has assured that if any other thing has been left out, he will consider it.

SHRI RAGHAVJI: But my point is why my amendment has not come to the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think it should have come at least 24 hours before. It has come only today.

SHRI RAGHAVJI: But the Bill had been received only yesterday. How could wc move an amendment 24 hours before?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I understand from the Office that your jinendment was received after the discussion on it had started. But I have no doubt that the hon. Minister...

SHRI RAGHAVJI: But, Sir, there should be some permanent arragement that the copies of the Bill are received two days in advance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I request the hon. Parliamentary Affairs Minister to ensure that for the future.

SHRI RAGHAVJI: But, Sir, I sent in my the amendment before the discussion actually started. May be, half-an-hour earlier.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, unless he has strong objection, let him withdraw his amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Since it has not been admitted, the question of withdrawal does not arise. The other points have been taken note of by the Office and by the Minister of State for Parliamentary Affairs.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, The Enacting Formula and The title were added to the Bill.

SHRI K. YERRANNAIDU: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

DELHI DEVELOPMENT (AMENDMENT) BULL, 1996

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI):
Now, we move on to the next item on the Agenda — Delhi Development (Amendment) Bill, 1996. Dr. Venkateswarlu.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): Sir, I move:

> "That the bill further to amend the Delhi Development Act, 1957, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

This Bill seeks an amendment to the Delhi Development Act, 1957 which has been passed by Lok Sabha. This amendment Bill has got a very limited purpose. The Delhi Development Authority was set up under the Delhi Development Act, 1957 with the object of promoting and securing the development of Delhi according to plan. Three representatives of the erstwhile Metropolitan Council of Delhi constituted through the Delhi Administration Act of 1966 were represented in Delhi Development Authority under sub-section (3) (f) of section 3 of the Act. Since the Metropolitan Council stands abolished